(5)

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

किस्म मुकदमा ______ नं. 143/2018 सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/5/2019	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उपस्थित। प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़ापा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 298/5 रकबा 6.17 बीघा आई हुई है जिसमें प्रार्थीगण सह-खातेदार की हैसियत से काश्तकार है। जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु एक रास्ता खसरा नम्बर 298/4 रकबा 7.15 बीघा भूमि में से होकर आता जाता है। रास्ता 20 फिट चौड़ाई में चल रहा है। नजरी नक्शा साथ में संलग्न है, जिसको प्रार्थना-पत्र का अंग माना जावें। संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार वादग्रस्त रास्ता अप्रार्थी अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से होकर चलता है जो रास्ता प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में 20 फिट चौड़ा घोषित करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 298/5 में पक्का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने-जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता हेतु नियमानुसार अप्रार्थीगण को भूमि के बदले भूमि या DLC दर अनुसार राशि अदा करने को तैयार है। अंत में प्रार्थी [illegible] कि ग्राम खेड़ापा में प्रार्थी [illegible] अपनी जमीन में आने-जा[illegible] 498/4 की माल [illegible] हुआ खसरा नम्बर 498/5 में आने-जा[illegible] 20 फिट चौड़ा रास्ता घोषित करवाया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.18 14:41:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से वकील श्री रामप्रकाश चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। शेष अप्रार्थीगण गैर हाजिर।
	तहसीलदार बावड़ी से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने बाबत् प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र को सुना गया। चूंकि तहसीलदार बावड़ी द्वारा स्वयं मौका जांच कर रिपोर्ट पेश की गई। अतः पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं। अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं द्वारा मय हल्का पटवारी के मौका देखा गया। जिसमें तहसीलदार बावड़ी की मौका रिपोर्ट को सही माना गया।
	पक्षकारान अधिवक्तागणों की अन्तिम बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र के साथ नजरी नक्शे में दर्शायेनुसार रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता उपलब्ध कराया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र विधि विरुद्ध अस्पष्ट, मौका स्थिति से परे मनगढ़त बनावटी व गलत होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया [illegible] एवं मण्डल जिनका RRT 2016(1) Page [illegible] 649, 650 एवं 651 की नजीरें [illegible]
	पत्रावली [illegible] अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान अधि[illegible]ताओं की बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.18 14:41:21 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा नंबर 298/5 के अन्य सहखातेदारान को प्रार्थनापत्र में पक्षकार पराफोर्मा पक्षकार तक नहीं बनाये है। प्रार्थीगण के खसरा नं. 298/5 भूमि का एक हिस्सा ग्राम केडापा के आबादी के चिपका हुआ आया है एवं आबादी भूमि में से चलने वाला धूम रास्ता प्रार्थीगण के खेत से आता-जाता है जिसका मौका अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं द्वारा देखा गया है एवं तहसीलदार खवड़ी द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट में उक्त रास्ता को दर्शाया गया है। कानूनन किसी भी खेत खसरान के वैकल्पिक रूप से रास्ता लगता है या चिपता हुआ आया है तो प्रार्थीगण धारा 251 A RT Act के तहत दूसरे नये रास्ते के लिये आवेदन नहीं कर सकते है यदि किसी पक्षकार द्वारा तथ्य/सत्यता छिपाकर दूसरे रास्ते के लिए आवेदन किया जाता है तो उक्त किया गया आवेदन विधि विरुद्ध है।

प्रार्थीगण के खसरा आबादी से चिपटा आया हुआ। प्रार्थीगण के अन्य सहखातेदारान द्वारा प्रार्थीगण को आगे नहीं आना देना चाहते है। प्रार्थीगण सहखातेदारान वाईसिरज एवं बाउन्ड्रीज के बन्टवारा नहीं करवाने के कारण एक-दूसरे के अनबन के कारण आबादी भूमि में चालू रास्ते पर आने-जाने नहीं देते है। बन्टवारा करने पर रास्ता रखने का प्रावधान है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि का बन्टवारा करने पर सभी [illegible] रास्ता छोड़कर बन्टवारा किया [illegible]

तहसीलदार खवड़ी [illegible] एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता स्वयं मय हल्का पटवारी के मौका देखने उपरान्त प्रार्थीगण की सहखातेदारी खेत ख.नं. 298/5 ग्राम केडापा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.18 14:41:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आबादी के चिपता [illegible] किया हुआ है आबादी में चलने वाला धूम रास्ता प्रार्थीगण के खेत के लगता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण करते आ रहे हैं नजीर चस्पा होती है। अतः उपरोक्त विवेचन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र धारा 251A RT Act स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।
	14/5/2019 (हेतराम चौहान) RAS सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, [redacted]
	निर्णय आज दिनांक 14/5/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली वेवल मुताबिक होकर दाखिल दफ्तर हो।
	14/5/2019 (हेतराम चौहान) RAS सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, [redacted]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.04.18 14:41:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner